359

संख्याः– 844/XXVII(1)/2015

प्रेषक,

एल.एन. पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 21 जुलाई, 2015

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2015–16 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त का तदर्थ आधार पर अन्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार 28 नगर पालिका परिषदों को संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु तदर्थ आधार पर देय धनराशि में से कॉलम–5 में इंगित धनराशि की कटौती पेंशन निधि हेतु करते हुये कॉलम–6 में निकाय के सम्मुख इंगित कुल धनराशि **₹28,97,06,000.00 (₹ अट्ठाईस करोड़ सत्तानब्बे लाख छः हजार मात्र)** अंतरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अंतरित की जा रही हैः–

1. शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2015–16 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त तदर्थ आधार पर संक्रमित की जा रही है।
2. अंतरित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–388/XXVII/(1)/2012, दिनांक 23 जुलाई, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
3. जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकड़ों की प्रमाणिकता की पुष्टि होने पर तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फार्मूलें के आधार पर निकायों के अंश की पुनः गणना की जायेगी।
4. तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त जिन निकायों का उच्चीकरण हुआ है, उनके सम्बन्ध में आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित अंश के आधार पर ही धनराशि संक्रमित की जायेगी।
5. तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, प्रस्तर–8.20 पर सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में समस्त निकायों की संकलित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही निकायों को बढ़ी हुई धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
6. नगर विकास विभाग अंतरित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि की बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

7. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

8. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

9. सम्बन्धित निकाय की अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगरपालिका/नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

संख्याः– 844 **(1)/XXVII(1)/2015, तद्दिनांकित।** 21/7/15

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी., उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– निदेशक, शहरी विकास विभाग, 43/6, माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून।
8– निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9– सम्बन्धित मुख्य/ वरिष्ठ/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

शासनादेश संख्याः 844/XXVII(1)/ 2015

:: देहरादूनः: दिनांकः 21 जुलाई, 2015

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में नगर पालिका परिषदों को तदर्थ आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु अंतरण

(धनराशि ₹ हजार में)

क0 सं0	जनपद	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	तदर्थ आधार पर द्वितीय त्रैमास हेतु देय अंतरण	पेंशन निधि हेतु तदर्थ आधार पर कटौती का अंश (1%)	तदर्थ आधार पर द्वितीय त्रैमास हेतु धनराशि का अंतरण	अलोटमेन्ट आई. डी. नं0
1	2	3	4	5	6	7
नगर पालिका परिषदें						
1	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	9612	96	9516	H1507071119
		योग	**9612**	**96**	**9516**	
2	चमोली	1–जोशीमठ	8491	85	8406	H1507071120
3		2–चमोली/ गोपेश्वर	10889	109	10780	
		योग	**19380**	**194**	**19186**	
4	नई टिहरी	1–नई टिहरी	16401	164	16237	H1507071121
		योग	**16401**	**164**	**16237**	
5		2–नरेन्द्र नगर	6034	60	5974	H1507071122
		योग	**6034**	**60**	**5974**	
6	देहरादून	1–मसूरी	26909	269	26640	H1507071123
7		2–विकासनगर	4535	45	4490	
8		3–ऋषिकेश	23086	231	22855	
		योग	**54530**	**545**	**53985**	
9	पौड़ी	1–कोटद्वार	7151	72	7079	H1507071128
10		2–श्रीनगर	9405	94	9311	
11		3–पौड़ी	17974	180	17794	
12		4–दुग्गड्डा	1577	16	1561	
		योग	**36107**	**362**	**35745**	
13	चम्पावत	1–टनकपुर	4273	43	4230	H1507071130
14		2–चम्पावत	3887	39	3848	
		योग	**8160**	**82**	**8078**	
15	नैनीताल	1–रामनगर	14579	146	14433	H1507071131
16		2–नैनीताल	26403	264	26139	
17		3–भवाली	1847	18	1829	
		योग	**42829**	**428**	**42401**	